उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
गुरूकुल कांगड़ी, हरिद्वार–249404
वेबसाइट–www. ukpsc.gov.in

01334-244143,
242331, 242332

विधायी एवं संसदीय कार्य, विधायी प्रकोष्ठ अन्तर्गत विधि आलेखक, अनुवादक एवं पुनरीक्षक परीक्षा–2014

विज्ञापन संख्या –	: ए–2/ई–2/2015–16
विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	: 22.07.2015
ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि –	: 06.08.2015 (समय रात्रि 11:59:59 तक)
परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि –	: 12.08.2015
आवेदन पत्र की प्रिंटआउट एवं स्वप्रमाणित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति आयोग कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि	: 20.08.2015

वेबसाइट– **www.ukpsc.gov.in** **Toll Free No.18001801443**
मोबाईल न0: 07060002410

<u>अति महत्वपूर्ण निर्देश</u> :–

1– अभ्यर्थी अपने उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में स्पेशल अपील संख्या : 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश 30.07.2010 के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।

2– ऑनलाइन आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) आयोग की सन्निरीक्षा नियमावली के अनुसार सम्पादित की जायेगी।

3– अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 06.08.2015 तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों।

4– अभ्यर्थी आवेदन पत्र के प्रिंट आउट की प्रति भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त परीक्षाओं से अधिकतम् 05 वर्षो के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा।

5– आयोग में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिये जाने के उपरान्त अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र आदि में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6– आवेदन पत्र भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही–सही भरें।

7–प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन एवं बैंक चालान के माध्यम से ही परीक्षा शुल्क स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8–ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने के पश्चात् उसके प्रिंटआउट के साथ स्वप्रमाणित प्रमाण पत्रों (आवेदन पत्र में दावित शैक्षिक योग्यता/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) की छायाप्रति भी निर्धारित तिथि 20.08.2015 तक आयोग कार्यालय को प्रेषित किया जाना अनिवार्य है। प्रिंटआउट की प्रति (वांछित अभिलेखों के साथ) उपलब्ध न कराये जाने पर आवेदन मान्य नहीं होगा।

9–एक अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पत्र होने की दशा में सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।

10–सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को नियत समय तक अभ्यर्थी को ''Online Application'' प्रक्रिया में ''Submit'' बटन को ''Click'' करने पर ही ''Online Application'' प्रक्रिया पूर्ण मानी जायेगी।

11–प्रश्नगत परीक्षा की परीक्षा योजना विज्ञापन के अन्त में परिशिष्ट–1, पाठ्यक्रम परिशिष्ट–2 एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र परिशिष्ट–3 पर एवं परीक्षा केन्द्र परिशिष्ट–4 पर उपलब्ध हैं।

12–प्रश्नगत चयन हेतु अर्ह अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) की प्रक्रिया अपनाई जायेगी। परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र हरिद्वार एवं हल्द्वानी होंगे, लेकिन हल्द्वानी में कम अभ्यर्थी होने की दशा में केवल हरिद्वार में ही आयोजित की जायेगी। 13–अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करते हुए अंतिम तिथि से पूर्व ही अपना आवेदन पत्र भर लें। 14–प्रश्नगत पदों हेतु परीक्षा तिथि सितम्बर माह में प्रस्तावित है।

विधायी एवं संसदीय कार्य, विधायी प्रकोष्ठ अन्तर्गत विधि आलेखक, अनुवादक एवं पुनरीक्षक परीक्षा–2014 हेतु अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु हरिद्वार एवं हल्द्वानी नगर मं एक मुख्य परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन किया जायेगा, लेकिन हल्द्वानी में कम अभ्यर्थी होने की दशा में केवल हरिद्वार नगर में ही परीक्षा आयोजित की जायेगी। परीक्षा से सम्बन्धित प्रवेश पत्र अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराये जायेंगे। डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किये जायेगे।

2. रिक्तियों का विवरण/वेतनमान/अनिवार्य एवं अधिमानी शैक्षिक अर्हता का विवरण निम्नानुसार हैः

रिक्तियों का श्रेणीवार विवरण एवं अनिवार्य शैक्षिक अर्हता/अधिमानी अर्हताएं

क्र.सं.	पदनाम/पद का स्वरूप वेतनमान/	पदों की संख्या	अनिवार्य शैक्षिक अर्हता
01	विधि आलेखक समूह–ग (9300–34800) ग्रेड पे–4200	02 (अनारक्षित)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि स्नातक।
02	अनुवादक समूह–ग (9300–34800) ग्रेड पे–4200	02 (अनारक्षित)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि स्नातक डिग्रीधारक। यदि परास्नातक में अंग्रेजी विषय हो तो स्नातक स्तर पर हिन्दी और यदि परास्नातक में हिन्दी विषय हो तो स्नातक स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रूप में होना आवश्यक है।
03	पुनरीक्षक समूह–ग (9300–34800) ग्रेड पे–4200	02 (अनारक्षित)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि स्नातक।

नोट–रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

3. समूह "ग" पद हेतु अनिवार्य अर्हता– 1. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता/वांछनीय अर्हता नियमावली–2010 के नियम–04 के अनुसार विधायी एवं संसदीय कार्य, विधायी प्रकोष्ठ अंतर्गत विधि आलेखक, अनुवादक एवं पुनरीक्षक परीक्षा–2014 हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकृत हो।

2. शासन के पत्रांक : 1097/XXX (2)/2011 दिनॉक 08 अगस्त, 2011 के अनुसार 'जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित है' उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता नहीं हैं।

3. शासन के पत्रांक : 809/XXX (2)/2010–3(1) दिनॉक 14 अगस्त, 2012 के अनुसार 'जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है, उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा संबंधित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण संबंधी प्रमाण पत्र को सेवायोजन कार्यालय मे पंजीकरण के समतुल्य माना जाएगा।

नोटः– अभ्यर्थी ऑन लाइन आवेदन पत्र भरते समय राज्याधीन सेवाओं में होने या न होने के संबंध में YES/NO पर क्लिक करें।

4. आयु :– आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2015 है। इस तिथि को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए तथा अभ्यर्थी की आयु 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई, 1973 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 1994 के बाद का नहीं होना चाहिए, परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गो तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाए, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी जैसा कि विहित किया जाए।

5. उच्चतम आयु सीमा में छूटः विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय–समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार द्वारा प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

नोट :– उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को अनुमन्य क्षैतिज आरक्षण माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट पिटीशन (PIL) संख्या–67/2011 अथवा उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

6. उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड के अधिवासी को ही अनुमन्य है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज श्रेणी/उप श्रेणी की सूचना प्रदान करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

7. यदि अभ्यर्थी क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उप श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

8. आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त करें तथा उसे ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट प्रति के साथ आयोग को प्रस्तुत करें। यदि किसी शपथ पत्र की भी आवश्यकता हो तो मजिस्ट्रेट या नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित शपथ पत्र आयोग को प्रस्तुत करें।

9. राष्ट्रीयता : सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, लंका तथा केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तागांनिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीका देशों से प्रव्रजन किया हो..........परन्तु, उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से संबंधित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो। परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से संबंधित अभ्यर्थी के लिए भी उप पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तरांचल द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से संबंधित है तो पात्रता प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं

किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी :– जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

<u>10. चरित्र :–</u> सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी :– संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

<u>11. वैवाहिक प्रास्थिति :–</u> पुरूष जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति की पात्र नहीं होगी।

परन्तु यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

<u>12. शारीरिक योग्यता</u> :– किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उससे–

(क) राजपत्रित पद या सेवा के मामले में, आयुर्विज्ञान परिषद् की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी,

(ख) सेवा में अन्य पदों के मामले में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड II, भाग III के अध्याय III में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है :

परन्तु पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

<u>13. आवेदन कैसे करें :–</u> इच्छुक अभ्यर्थियों से आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशानुसार अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है।

<u>14. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया :–</u>

(1) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट **<u>www.ukpsc.gov.in</u>** पर जाएं।

(2) वेबसाइट पर "**<u>Examination</u>**" शीर्षक को Click करें एवं लिंक बटन **New User Sign Up** में प्रवेश करें।

(3) लिंक बटन "**<u>New User Sign Up</u>**" के अन्तर्गत अभ्यर्थी को लिंक बटन **New Registration** दिखाई देगा, जिसमें निर्देशानुसार अभ्यर्थी स्वयं से सम्बन्धित प्रविष्टियां भरें, एवं प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक जाँचने के उपरान्त **Submit** करें।

(4) पंजीकरण के उपरान्त अभ्यर्थी को उसके मोबाइल नम्बर/ईमेल पर User Id एवं Registration Number प्राप्त होगा।

(5) पंजीकृत अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु "**Examination**" शीर्षक के अन्तर्गत लिंक बटन **Sign In** द्वारा प्रवेश करें एवं लिंक बटन **Click Here For Online Application Form** को खोले।

(6) ऑनलाइन आवेदन हेतु Legislative and Parliamentary Affairs (Legislative Cell) Legal Drafters, Translator, Reviewer Examination–2014 के सम्मुख "**Click Here**" पर जाएं एवं **Continue** करे।

(7) वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र को विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सही–सही भरें एवं वेबसाइट पर दर्शित निर्देशों का पालन करें।

(8) ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक जाँच लें। भरी गयी प्रविष्टियों में शंका होने पर अथवा किसी त्रुटि की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में **Reset** पर Click करे एवं पुनः समस्त प्रविष्टियां भरे। भरी गयी प्रविष्टियों के एकदम सही होने की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में **Continue** पर Click करें।

(9) वेबसाइट के निर्देशानुसार प्रविष्टियां भर लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र समस्त विवरणों सहित दिखाई देगा, जिसमें अभ्यर्थी को अपनी स्कैन फोटोग्राफ (40 KB से अधिक न हो) एवं हस्ताक्षर JPG Format (20 KB से अधिक न हो) में अपलोड करने होंगे।

(10) आवेदन पत्र में प्रदर्शित विवरण में परिवर्तन हेतु अभ्यर्थी **Update** पर Click करे तथा प्रविष्टियों के सही होने की दशा में **I Agree** पर Click करें।

(11) "आप का आवेदन पत्र आयोग में जमा हो गया है", का संदेश प्राप्त होने के पश्चात अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र को डाउनलोड कर अपने पास सुरक्षित रख ले।

(12) अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु बैंक चालान की प्रिंटआउट निकाल लें।

(13) आवेदन पत्र भरने के 02 दिन पश्चात् अभ्यर्थी **State Bank Of India (SBI)** की किसी भी शाखा में परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से जमा किया गया शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा। बैंक में जमा किये गये शुल्क की चालान की एक प्रति ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति के साथ आयोग कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

15. शुल्क :– अनारक्षित (सामान्य)/उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क रू0 150/– तथा उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजाति/विकलांग/पूर्व सैनिक श्रेणी आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शुल्क रू0 60/– हैं।

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/महिला/उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी तथा उनके पात्र आश्रित जिस श्रेणी, **यथा**–अनारक्षित या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी, के होंगे उन्हें उसी श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

नोट :– आवेदन पत्र भरने के 02 दिन पश्चात् अभ्यर्थी **State Bank Of India (SBI)** की किसी भी शाखा में परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से जमा किया गया शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा।

(1) अभ्यर्थी को बैंक चालान के माध्यम से निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है :–

क्र0 सं0	श्रेणी	शुल्क
01	अनारक्षित (सामान्य)/अन्य पिछड़ा वर्ग(ओ0बी0सी0) श्रेणी के पदों हेतु	रू0 150/–
02	अनुसूचित जाति (एस0सी0)/ अनुसूचित जनजाति (एस0टी0)/ विकलांग एवं पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों हेतु	रू0 60/–

16. अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्देश :–

(1) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग–दर्शक सिद्धान्तों एवं समय–समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(2) अभ्यर्थियों हेतु **Uttarkhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules – 2013** और उत्तराखण्ड परीक्षा परिणाम नियमावली–2012, 2013 (प्रथम संशोधन), 2014 (द्वितीय संशोधन) एवं तृतीय संशोधन 2015 आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

(3) परीक्षा (लिखित प्रकृति/वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(4) परीक्षा (लिखित प्रकृति/वस्तुनिष्ठ प्रकार) में प्राप्त प्राप्तांको के आधार पर रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जायेगा। अन्तिम चयन परिणाम आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करायी जायेगी।

(5) परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों का आयोग द्वारा निर्धारित तिथि में सत्यापन किया जायेगा सत्यापन के दौरान यदि अभ्यर्थी के अर्हता के संबंध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(6) मूल प्रमाण पत्र के सत्यापन के समय ही अभ्यर्थी को अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा, जहां उन्होने शिक्षा पायी हो, अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।

(7) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक से प्राप्त **'अनापत्ति प्रमाण पत्र'** मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।

(8) अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने होंगे। किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी को उत्तर देने के लिए कोई श्रुत लेखक नहीं दिया जायेगा, परन्तु दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के लिए श्रुत लेखक की व्यवस्था अनुमन्य होगी। श्रुत लेखक की शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट से अधिक नहीं होगी। दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को प्रत्येक घण्टे के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय अनुमन्य होगा, परन्तु श्रुत लेखक की अनुमति आयोग से परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अवश्य प्राप्त करनी होगी, जिसके लिए अभ्यर्थी द्वारा श्रुत लेखक की शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्र शपथ पत्र के साथ प्रार्थना पत्र सहित आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

(9) **गलत उत्तरों के लिए दण्ड–** वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा–

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प उत्तर है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंको का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।

(ख) प्रत्येक प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यदि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(10) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 10 दिनों के भीतर प्रश्न पत्र एवं संबंधित उत्तर के संबंध में अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अवधि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(11) परीक्षा के किसी भी स्तर में कैलकुलेटर का प्रयोग वर्जित है।

(12) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परिक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रोनिक उपकरण सहित किसी प्रकार कि प्रतिबन्धित सामग्री न लाए क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

(13) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण–पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की समस्त परीक्षाओं के लिए प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है और उसके विरूद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(14) **परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश–पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।**

(15) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन पत्र, उपस्थिति सूची आदि में तथा आयोग के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है, तो आयोग उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।

(16) हाईस्कूल प्रमाण–पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण–पत्र संलग्न न किए जाने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(17) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। **अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।**

(18) यदि कोई **अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है अथवा शुल्क जमा नहीं करता है,** तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(19) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धितः– कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(20) अँगूठे का निशान (**Thumb Impression**):– सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपनी परीक्षा की उत्तर–पत्रक के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरूष अभ्यर्थी की दशा में बाँये अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दाँये अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।

(21) परीक्षा भवन में आचरण :– परीक्षा केन्द्र/कक्ष में अभ्यर्थी न तो किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे और न ही अव्यवस्था फैलायेंगे तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान भी नही करेंगे। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा।

(22) आयोग से किए जाने वाले सभी प्रकार के पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

(23) यदि अभ्यर्थी के पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्र्टड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

(24) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि आयोग को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(25) अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनांए वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जायेगी। अतः अभ्यर्थी अयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in का समय–समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

(26) प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन एवं बैंक चालान के माध्यम से परीक्षा शुल्क की स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(27) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरूद्ध **Uttarkhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules – 2013** के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(28) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाहीः– अभ्यर्थियों को सचेत किया है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेर बदल नहीं करें तथा न ही वे फेर बदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

(29) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा :–1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा तथा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर प्रत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कूट–रचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली

प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए है, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बाते लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रानिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हैं, अथवा 13. उपर्युक्त खंडो में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (ii) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है। (ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (i) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

(30) निम्नलिखित अभिलेख आयोग कार्यालय द्वारा वांछित होने पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा—

(क) शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित अंकतालिका, प्रमाण—पत्रों एवं आरक्षण श्रेणी/उप श्रेणी से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियाँ तथा आयु के प्रमाण हेतु हायर सैकेन्ड्री/हाईस्कूल का प्रमाण—पत्र।

(ख) जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण—पत्र किसी भी आरक्षित श्रेणी/श्रेणियों के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की पुष्टि में। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण—पत्र का निर्धारित प्रारूप विज्ञापन के साथ परिशिष्ट—3 में प्रकाशित किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए।

(ग) क्षैतिज आरक्षण एवं आयु में छूट की प्राप्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

(31) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते है, आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

(32) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन के अन्त में प्रकाशित पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा

शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लघंन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन–पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(33) न्यूनतम अर्हक अंक उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम प्रक्रिया नियमावली– 2012 (प्रथम संशोधन–2013, द्वितीय संशोधन–2014 एवं तृतीय संशोधन–2015) के अनुसार प्रश्नगत् परीक्षा के विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों को नियमावली द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। न्यूनतम अर्हक अंक धारित करने वाले अभ्यर्थियों को ही मैरिट के आधार पर अगले चरण हेतु सफल घोषित किया जायेगा।

(34) परीक्षा की तिथि, कार्यक्रम, समय तथा केन्द्रों के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित सूचना आयोग की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने वाले प्रवेश–पत्रों द्वारा प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(एस0 एन0 पाण्डे)
सचिव।

परिशिष्ट–1

विधायी एवं संसदीय कार्य, विधायी प्रकोष्ठ के अंतर्गत विधि आलेखक, अनुवादक एवं पुनरीक्षक परीक्षा–2014 हेतु विज्ञापित विभिन्न पदों हेतु परीक्षा योजना निम्नवत् हैं–

क्र0सं0	पदनाम	प्रश्न–पत्र	अधिकतम अंक	समय
1	विधि आलेखक / अनुवादक / पुनरीक्षक	सामान्य अध्ययन (लिखित प्रकृति–वस्तुनिष्ठ प्रकार) (सामान्य हिन्दी / सामान्य अंग्रेजी / संवैधानिक व्यवस्था)	100	02 घण्टे
2		कम्प्यूटर का आधारभूत ज्ञान (क्वालीफाइंग नेचर)	100	01 घण्टा

परिशिष्ट–2

विधायी एवं संसदीय कार्य, विधायी प्रकोष्ठ के अंतर्गत विधि आलेखक, अनुवादक एवं पुनरीक्षक पद हेतु पाठ्यक्रम

सामान्य ज्ञान (सामान्य हिन्दी / सामान्य अंग्रेजी / संवैधानिक व्यवस्था) प्रश्न–पत्र

(लिखित प्रकृति–वस्तुनिष्ठ प्रकार)

कुल प्रश्नों की संख्या – 100 समयावधि – 02 घण्टे

सामान्य हिन्दी

प्रश्नों की संख्या – 20 कुल अंक – 20

(i) उपसर्ग एवं प्रत्यय	01
(ii) संधि एवं समास	01
(iii) वचन एवं लिंग	01
(iv) व्याकरणिक कोटियां – संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया– विशेषण, अव्यय	04
(v) वाच्य परिवर्तन – कर्तृवाच्य / कर्मवाच्य / भाववाच्य	03
(vi) शब्द भेद–तत्सम्, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर, रूढ़ यौगिक और योगरूढ़, पर्यायवाची, समानार्थी, विलोम, अनेकार्थी, समूहवाची, समरूप भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द	05
(vii) वाक्य शुद्धि	02
(viii) लोकोक्ति एवं मुहावरें	03

General English

No. of questions – 20 **MM.20**

1. Comprehension 02

A passage of appropriate length which is designed to test the ability of the candidate in the following areas:

(a) Familiarity with vocabulary

(b) Knowledge of English grammar

(c) Thematic understanding of the passage

2. Use of Articles 01

3. Use of correct Prepositions 01

4. One- word substitution 01

5. Synonyms 01

6. Antonyms 01

7. Fill up the blanks with appropriate words 01

8. Verbs – Main, Auxiliary and Modals 01

9. Active/Passive voice 01

10. Direct/Indirect Narration 01

11. Correct spelling of words 02

12. Tenses 02

13. Re-ordering of given sentences into a meaningful paragraph 01

14. Subject - Verb agreement 01

15. Idioms and Phrases 01

16. Conjunctions 01

17. Homonyms 01

सामान्य ज्ञान

प्रश्नों की संख्या – 20 कुल अंक – 20

भारत का इतिहास, संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था – कृषि, पर्यटन, व्यापार–वाणिज्य एवं उद्योगो के विकास की दशा एवं दिशा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास, शैक्षणिक संस्थाएं तथा शिक्षण–प्रशिक्षण, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरणीय विकास–विकास से जुड़ी हुई समस्यायें, जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, इन समस्याओं से बचने के उपाय एवं महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं।

भारतीय राजव्यवस्था, संविधान एवं विधिक शब्दावली

प्रश्नों की संख्या – 20 कुल अंक – 20

संसदीय प्रणाली, कार्यपालिका, गठबंधन की राजनीति, क्षेत्रवाद, जातिवाद, साम्प्रदायिकता, आतंकवाद और नक्सलवाद, भारत में चुनाव सुधार, शासन : संस्थान और प्रक्रिया, लोकनीति, राष्ट्रीय एकता, देश की राजनीति और प्रशासनिक प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी, सिविल सोसायटी, लोकपाल और लोकायुक्त, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, कार्य संचालन, विधायी प्रक्रिया, मंत्री परिषद, महान्यायवादी/महाधिवक्ता, भाषा संबंधी उपबन्ध, पंचायतीराज– स्थानीय शासन, विधिक शब्दावली, अनुसूचियां व सम्बन्धित अन्य पहलू।

उत्तराखण्ड से सम्बन्धित सामान्य जानकारी

प्रश्नों की संख्या – 20 कुल अंक – 20

इसके अन्तर्गत प्रश्न उत्तराखण्ड के भूगोल, इतिहास और धरोहर, सभ्यता एवं संस्कृति, (लोक–संस्कृति सहित जिसमें लोक–साहित्य एवं बोलियाँ, कला एवं शिल्प, मेले और त्यौहार, वेषभूषा एवं आभूषण, नृत्य गायन तथा वाद्य यंत्र आजीविका के साधन एवं खान–पान), राज्य व्यवस्था, भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन में उत्तराखण्ड की भूमिका, उत्तराखण्ड राज्य निर्माण आन्दोलन, अर्थव्यवस्था, कृषि, पर्यावरण, शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन एवं समसामयिक घटनाएं, उत्तराखण्ड के ख्यातिलब्ध व्यक्ति (भूत एवं वर्तमान) की व्यापक समझ पर आधारित होंगे।

नोट :– प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न 01 अंक का होगा।

<u>Basic Knowledge of Computer Operation - Practical Examination (Qualifying Nature)</u>

Time- 1 Hours **Max. Marks-100**

Minimum Qualifying Marks- 40

Microsoft Windows Operating system and Microsoft Office; The paper shall be set from the given syllabus broadly taking one question from each i.e. - (1) Windows and internet. (2) M.S. - word. (3) M.S. - Access. (4) M.S. - Excel and (5) M.S. - Power Point.

Note -1 - Each question shall have one action to be performed on the system each having 20 marks.

Note -2 - Printout of the output shall be taken and given for evaluation.

SYLLABUS FOR THE POST OF LEGAL DRAFTER, TRANSLATOR AND REVIEWER UNDER LEGISLATIVE AND PARLIAMENTRY AFFAIRS (LEGISLATIVE CELL)

General Knowledge(Genral Hindi/Genral English/ Consitutional System) Question Paper
(Written Objective Type)

No. of Questions – 100 **Time Allowed** – 02 **Hours**

सामान्य हिन्दी

प्रश्नों की संख्या – 20 कुल अंक – 20

(i)	उपसर्ग एवं प्रत्यय	01
(ii)	संधि एवं समास	01
(iii)	वचन एवं लिंग	01
(iv)	व्याकरणिक कोटियां – संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया– विशेषण, अव्यय	04
(v)	वाच्य परिवर्तन – कर्तृवाच्य/कर्मवाच्य/भाववाच्य	03
(vi)	शब्द भेद–तत्सम्, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर, रूढ़ यौगिक और योगरूढ़, पर्यायवाची, समानार्थी, विलोम, अनेकार्थी, समूहवाची, समरूप भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द	05
(vii)	वाक्य शुद्धि	02
(viii)	लोकोक्ति एवं मुहावरें	03

General English

No. of questions – 20 **MM.20**

1. Comprehension 02

A passage of appropriate length which is designed to test the ability of the candidate in the following areas:

(a) Familiarity with vocabulary

(b) Knowledge of English grammar

(c) Thematic understanding of the passage

2. Use of Articles 01

3. Use of correct Prepositions 01

4. One- word substitution 01

5. Synonyms 01

6. Antonyms 01

7. Fill up the blanks with appropriate words 01

8. Verbs – Main, Auxiliary and Modals 01

9. Active/Passive voice 01

10.	Direct/Indirect Narration	01
11.	Correct spelling of words	02
12.	Tenses	02
13.	Re-ordering of given sentences into a meaningful paragraph	01
14.	Subject - Verb agreement	01
15.	Idioms and Phrases	01
16.	Conjunctions	01
17.	Homonyms	01

General Knowledge

No. of questions – 20 **MM.20**

Indian history, Culture and National movement; Indian and World geography; Indian Economy- Agriculture, Tourism, Business- State and Direction of growth of Commerce and Industries, Social and Cultural Development; Educational Institutions and Education Training; General Science and Technology and Environmental Developement - Problem Related to Developement; Population growth, Environmental Pollution; Climate change; Preventive measures for such problems; and important current events.

Indian Polity, Consitution and Legal Glossary

No. of questions – 20 **MM.20**

Constitutional System, The Executive, Coalition Politics, Regionalism, Casteism, Communalism, Terrorism and Naxalism, Electoral Reforms in India, Governance : Institution and Process, Public Policy, National integration, Citizen Participation in Political and Admistrative Process of the Country, Civil Society, Lokpal and Lok Ayukt, The Union and its Territory, Citizenship, Fundamental Rights, Directive Principles of State Policy, Cunduct of Business, Legislative Procedure, Council of Ministers, The Attorney General for India/The Advocate General for the State, Related Language Provision, Panchayatiraj; Local Governance, Legal Glossary, Schedules and Other Related Aspects.

General Awareness about Uttarakhand

No. of questions – 20 **MM.20**

Questions will be based on broad aspects of geography, history and heritage, civilization and culture including folk culture (comprising folk literature and dialects, art and crafts, fairs and festivals, costumes and ornaments, dances, songs and instruments, means of livelihood and food habits), polity, role of Uttarakhand in freedom movement of India, movement for formation of Uttarakhand State, Economy, agriculture, environment, education, natural resources and current events. Eminent persons of Uttarakhand (past and present).

Note :- Each Multiple choice question shall be of 01 Marks.

Basic Knowledge of Computer Operation - Practical Examination (Qualifying Nature)

Time- 1 Hours **Max. Marks- 100**

Minimum Qualifying Marks- 40

Microsoft Windows Operating system and Microsoft Office; The paper shall be set from the given syllabus broadly taking one question from each i.e. - (1) Windows and internet. (2) M.S. - word. (3) M.S. - Access. (4) M.S. - Excel and (5) M.S. - Power Point.

Note -1 - Each question shall have one action to be performed on the system each having 20 marks.

Note -2 - Printout of the output shall be taken and given for evaluation.

परिशिष्ट–3

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्रों के प्रपत्र।
प्रमाण–पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला ....उत्तराखण्ड की .... जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ....तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम .... तहसील ....नगर .... जिला .... में सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर ....
दिनांक : पूरा नाम ....
मुहर : पदनाम ....
जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण–पत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तराखण्ड के राज्य की .... पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची–2 से अधिसूचना संख्या–22/16/92–का–2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम....................तहसील .... नगर .... जिला ....में सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर ....
दिनांक : पूरा नाम ....
पदनाम ....
मुहर ....
जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

<u>उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के लिये प्रमाण–पत्र</u>

(केवल शास0 सं0–1270/तीस–2/2004 दिनांक 11 अगस्त, 2004 व शास0 सं0–776/XX(4) 26/उ0आ0/2006–08 दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 तथा शास0 सं0–637/XX(4)–26/उ0आ0/2006/09 दिनांक 13 अगस्त, 2010 के अधीन अर्ह सेवायोजन हेतु चिन्हित् आन्दोलनकारियों के लिए)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम ....तहसील..................................... नगर .... जिला ....शास0 सं0–1270/तीस–2/2004 दिनांक 11 अगस्त, 2004 व शास0 सं0–776/XX(4)26/उ0आ0/2006–08 दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 तथा शास0 सं0–637/XX(4)–26/उ0आ0/2006/09 दिनांक 13 अगस्त, 2010 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी के रूप में चिन्हित् है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
पदनाम ....
मुहर ....
जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र
शासनादेश संख्या 4/23/1982–2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री ....निवासी ग्राम ....तहसील .... नगर .... जिला ....उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित) .... पुत्र/पुत्री/पौत्र/ अविवाहित पौत्री उपयंकित अधिनियम,1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम..................................
पदनाम ....
मुहर ....
जिलाधिकारी ....
(सील) ....

निःशक्तता प्रमाण – पत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता – ....
प्रमाण पत्र संख्या – .... तारीख ....

चिकित्सा बोर्ड के अध्ययक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 ....सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री ....आयु.................................... लिंग........................ पहचान चिन्ह................................... ....निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज)

(i) दोनों टांगे (बी एल) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बांहें (बी ए) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगे और बांहें (बी एल ए) – दोनों टांगें और दोनों बाहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(v) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्लू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –

(i) बी – अंधता

(ii) पी बी – आँशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(i) डी–बधिर

(ii) पी डी – आँशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/ इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुननिर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती। ....वर्षों .... महीनों की अवधि के पश्चात पुननिर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। *

3. उनके मामले में निशक्तता का प्रतिशत .... है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी ....अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:–

(i) एफ–अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(ii) पी पी–धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती है।	हॉ/नहीं
(iii) एल–उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(iv) के सी–घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं	हॉ/नहीं
(v) बी–झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(vi) एस–बैठ कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(vii) एस टी–खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(viii) डब्लू–चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(ix) एस ई–देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(x) एच–सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(xi) आर डब्लू–पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं

(डा0.......................................)	(डा0.......................................)	(डा0.......................................)
सदस्य	सदस्य	सदस्य
चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रति हस्ताक्षरित
(मुहर सहित)

* जो लागू न हो काट दें।

परिशिष्ट–4

परीक्षा केन्द्र की कोड संख्या :–

नोट : अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर परीक्षा केवल हरिद्वार नगर में ही आयोजित की जायेगी।

नगर का नाम	कोड
हरिद्वार	01
हल्द्वानी	02